प्रकरण संख्या 34/2019 2019/00061 तारीख रजु–20.02.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

1. सुन्दरलाल पुत्र भौरूलाल उर्फ भौरीलाल जाति मीना निवासी बडापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली
2. मु0 मुथरी बेवा भौरूलाल जाति मीना निवासी बडापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली (फौत–नाम हजफ)

– अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–30.07.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीयान के विरूद्ध यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 755 रकबा 0–10 बीघा ग्राम भावली तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 755 रकबा 0–10 बीघा ग्राम भावली सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु नामांतरण संख्या 757 से किस्म बारानी–2 से श्री भौरीलाल पुत्र बन्शी मीना के नाम जरिए आवंटन/नियमन/डिक्री से दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक में जरिए विरासत सुन्दरलाल पुत्र भौरूलाल उर्फ भौरीलाल, मु0 मुथरी वेबा भौरूलाल जाति मीना सा0 बडापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 755 रकबा 0–10 बीघा बाके ग्राम भावली को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 नाला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2059–62, 2067–70, 2071–74, नामांतरकरण संख्या 01 दिनांक 28.04.1976, नामांतरकरण संख्या 1517 दिनांक 01.06.2000, नामांतरकरण संख्या 987 दिनांक 12.03.1986 की प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीयान की गई।

वकील अप्रार्थी नं. 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये नोटिस दिया गया है। प्रार्थीगण खसरा नं. 755 रकबा 10 विस्वा में वहैसियत खातेदार काबिज है और वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 में खसरा नंबर 755 रकबा 10 विस्वा बारानी–2 से अंकित है एवं नाला, नदी के नाम कोई भी किस्म काश्त दर्ज नहीं है यदि उक्त जमीन आवंटन लायक नही थी तो आवंटन कमेटी ने उस समय उक्त जमीन को प्रार्थीगण के नाम वहैसियत खातेदार किस प्रकार से घोषित किया यह स्पष्ट नहीं है। उक्त रेफरेन्स परिसीमन की धाराओं के विपरीत है। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय ने कई विगत दृष्टांतो को 20 वर्ष की अवधि

जिला कलक्टर
करौली

गुजर जाने के पश्चात् बेदखल नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा किया गया तो यह विधि का खुला उल्लघंन है। हल्का पटवारी द्वारा खसरा परिवर्तनशील नकल व किस्म के बारे में रिकॉर्ड का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया और मिसल तलब नहीं की गई है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि को जिस्मानी मेहनत व लागत लाखें रूपयें की लगाकर काबिल काश्त बनाया है यदि प्रार्थी को बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी और आजीविका उपार्जन से दूर हो जायेंगें। प्रार्थी की माता मुथरी वेबा भैंरोलाल उर्फ भौरीलाल का 3–4 साल पूर्व स्वर्गवास हो चुका है इसलिये जवाब दिया जाना उचित नहीं है। अंत में प्रकरण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 755 रकबा 0–10 बीघा ग्राम भावली सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु नामांतरण संख्या 757 से किस्म बारानी–2 से श्री भौरीलाल पुत्र बन्शी मीना के नाम जरिए आवंटन/नियमन/डिक्री से दर्ज कर दिया गया। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

वकील अप्रार्थी नं. 1 का बहस में कथन है कि प्रार्थीगण खसरा नं. 755 रकबा 10 विस्वा में वहैसियत खातेदार काबिज है और वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 में खसरा नंबर 755 रकबा 10 विस्वा बारानी–2 से अंकित है एवं नाला, नदी के नाम कोई भी किस्म काश्त दर्ज नहीं है यदि उक्त जमीन आवंटन लायक नही थी तो आवंटन कमेटी ने उस समय उक्त जमीन को प्रार्थीगण के नाम वहैसियत खातेदार किस प्रकार से घोषित किया यह स्पष्ट नहीं है। उक्त रेफरेन्स परिसीमन की धाराओं के विपरीत है। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय ने कई विगत दृष्टांतो को 20 वर्ष की अवधि गुजर जाने के पश्चात् बेदखल नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा किया गया तो यह विधि का खुला उल्लघंन है। हल्का पटवारी द्वारा खसरा परिवर्तनशील नकल व किस्म के बारे में रिकॉर्ड का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया और मिसल तलब नहीं की गई है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि को जिस्मानी मेहनत व लागत लाखों रूपये की लगाकर काबिल काश्त बनाया है यदि प्रार्थी को बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी और आजीविका उपार्जन से दूर हो जायेंगे। प्रार्थी की माता मुथरी वेवा भैंरोलाल उर्फ भौरीलाल का 3–4 साल पूर्व स्वर्गवास हो चुका है। इसलिये अप्रार्थी नं. 2 का नाम हजफ किया जावे। अंत में प्रकरण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 755 रकबा 0–10 बीघा गै0 मु0 नाला दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामांतकरण संख्या 01 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 755 किस्म बारानी–2 रकबा 0–10 श्री भौरीलाल पुत्र बन्शी मीना के नाम दिनांक 28.04.1976 को स्वीकार किया है। नकल जमाबन्दी सं0 2071 लगायत 2074 के अनुसार खसरा नंबर 755 किस्म बारानी–2 रकबा 0–10 बीघा सुन्दरलाल पुत्र भौरूलाल, मु0 मुथरी बेवा भौरूलाल जाति मीना सा0 बडापुरा अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै0 मु0 नाला दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि आवंटित की गई है। चूंकि

जिला कलक्टर
कोटा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय के अनुसार हम इस प्रकरण में वर्णित भूमि आराजी खसरा नंबर 755 रकबा 0–10 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 नाला दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम भावली की आराजी खसरा नंबर 755 रकबा 0–10 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 नाला दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
करौली